



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052023-246122
CG-DL-E-27052023-246122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2237]
No. 2237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2023/ज्येष्ठ 5, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2023/JYAISHTHA 5, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2023

का.आ. 2333(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (3) पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस आदेश का कुछ भी "लो मेल्ट पॉलिएस्टर फाइबर को लागू" नहीं होगा"।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1651(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 4605(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZER
(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the, 26th May, 2023

S.O. 2333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022, namely: -

1 Short title and commencement: (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, after sub-paragraph (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing in this Order shall apply to Low Melt Polyester Fibres".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1651(E), dated the 5th April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4605(E), dated the 29th September, 2022.